छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 2010
(माघ-27, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 तथा 07 से 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05 पर श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के स्थान पर श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष अधिकृत थे। प्रश्न संख्या 06 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री ताम्रध्वज साहू अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 12 एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2.बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

3.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने स्व. श्री कृष्णलाल जायसवाल, अविभाजित म.प्र.विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री रविन्द्र चौबे, श्री बोधराम कंवर तथा श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य एवं श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

(दिवंगत के सम्मान में 12.17 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित होकर 12.28 बजे पुनः प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

4.पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2009-2010 पटल पर रखा।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी.जी.डी.सी.ए. की परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य ने अम्बिकापुर के भाजपा नेता की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

6. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र बसना के विभिन्न ग्रामों में नया टांसफार्मर लगाये जाने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्टापडेम/चेकडेम निर्माण एवं लाईनिंग कार्य किये जाने, तथा

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने तहसीलदार पंडरिया द्वारा आंगनबाड़ी निर्माण कार्य प्रारंभ कराने जाने हेतु कोई पहल नहीं किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

दैनिक उपभोग की खाद्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति

श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

8.बहिर्गमन

अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में सम्पूर्ण चर्चा से बहिर्गमन किया।

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा(क्रमशः)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री दीपक पटेल,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने प्रतिपक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह को स्वीकार करने के साथ अधिकारी दीर्घा से संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ करने का आग्रह किया।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सर्वश्री रामदयाल उइके, संतोष बाफना, भजन सिंह निरंकारी, देवजी पटेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 3.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा